राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: NRHM/RCH-II/RJSSY/2013/ 515 दिनांक: 30/10/14

समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज सलग्न चिकित्सालय
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय : जननी सुरक्षा योजना के संबंध में दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में जननी सुरक्षा योजना के संबंध में वर्ष 2014–15 मे निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है–

1. **प्रसूताओं को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में**
   - संस्थागत प्रसव (राजकीय एवं निजी अधिकृत चिकित्सा संस्थान में) होने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400/– रूपये एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को 1000/– रूपये प्रोत्साहन राशि Account Pay Cheque के द्वारा दिये जायेगें।
   - उक्त प्रोत्साहन राशि कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुता को देय नहीं है।
   - बी.पी.एल. प्रसुता को घरेलू प्रसव होने पर 500/– रूपये की राशि देय है। इसमें प्रसव संख्या की बाध्यता नहीं है।
   - आशा सहयोगिनी अपने क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवार की सभी गर्भवती महिलाओं प्रसव से 8–12 सप्ताह पूर्व 500/– रूपये की राशि संबंधित प्रसाविका अथवा नजदीक के संस्था प्रभारी से चैक द्वारा दिलवाकर ए.एन.सी. कार्ड में इन्द्राज करवायेगीं।
   - परिवहन के दौरान प्रसव होनें पर प्रोत्साहन राशि देय है।
   - प्रसुता से किसी भी तरह के प्रमाण पत्र/रेफरल पर्ची की मांग नहीं की जायेगी।

2. **आशा सहयोगिनी को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में**
   - जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए आशा सहयोगिनी को कुल 600/– रूपये देय है जिनमें से 300/– रूपये ए.एन.सी. एवं 300/– रूपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है।
   - जननी सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लिए आशा सहयोगिनी को कुल 400/– रूपये देय है जिनमें से 200/– रूपये ए.एन.सी. एवं 200/– संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है।
   - आशा सहयोगिनी द्वारा ए.एन.सी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ए.एन.सी. के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि संबंधित प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा देय है।
   - आशा सहयोगिनी द्वारा राजकीय संस्थान में संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संस्थागत प्रसव की प्रोत्साहन राशि संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा देय है।

3. प्रशासनिक मद के संबंध में

- राज्य में जेएसवाई के तहत कुल प्राप्त बजट का 5% प्रशासनिक व्यय के लिए आंवटित होता है जिसमें से 1% राज्य स्तर पर, 1% जिला स्तर पर व 3% संस्थान स्तर पर उपयोग में लिया जा सकता है।
- उक्त बजट का उपयोग जननी सुरक्षा योजना की मोनीटरिंग, प्रचार प्रसार एवं अस्पताल की सफाई व्यवस्था हेतु किया जा सकता है।
- इस मद से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाऐ ली जा सकती है जो पीसीटीएस एवं आरजेएसएसवाई सॉफ्टवेयर में प्रसूताओं के संबंध में सभी आकडों (ANC, Aadhar Card number, Account number, delivery cases, PNC and immunization etc.) को दर्ज करेगा एवं उच्च स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा।
- इस मद से उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये 100/– रूपये प्रति प्रसव व्यय किया जा सकता है, यदि संस्थान में पर्याप्त स्वीपर उपलब्ध नहीं है।
- संस्थान स्तर पर योजना के संबंध में वॉल पेटिंग, प्रसूताओं के फीडबेक फोरमेट छपवाने के लिए व सुझाव पेटी की स्थापना में भी इस मद से व्यय किया जा सकता है।
- उक्त बजट का उपयोग अधिकारियों द्वारा संस्थान पर भ्रमण हेतु मोबेलिटी के लिए किया जा सकता है।

4. सिजेरियन प्रसव हेतु विशेषज्ञ के अभाव मे प्रति सिजेरियन रू1500/–विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए उपयोग में लिए जा सकते है।
5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी व्यय आर.सी.एच. Flexipool से किये जायेगें एवं पी.आई.पी. निर्धारित बजट हैड में दर्ज किये जायेगें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज संलग्न अस्पतालों को आर.सी.एच. Flexipool से राशि उपलब्ध करायेगें।

उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें।

निदेशक (आर.सी.एच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. एवं प.क. सेवाएं।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक वित, एनएचएम।
4. परियोजना निदेशक, एम.एच.।
5. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक समस्त।
8. सर्वर प्रभारी रूम।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आर.सी.एच)